

# भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-131 / 2018-19

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
21.12.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 15.01.2019 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 15.01.2019 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><i>Beery</i> 21.12.18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	
15.01.2019	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 12.02.2019 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 12.02.2019 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><i>Beery</i> 15.1.19 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	
12.02.2019	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक-95, दिनांक-11.02.2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 12.02.2019 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक/आवेदिका श्री करमु महतो, पिता/पति- श्री शत्रुघन महतो, जाति- कुर्मी (अ०पि०वर्ग०), ग्राम- दुरियाम, पो०+थाना- टोकलो, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा- रोलाडीह, थाना- चक्रधरपुर, थाना नं०- 451, खाता नं०- 152, प्लॉट नं०- 15, रकबा- 0.30 डि०, क्रेता श्रीमती मंजारी महतो, पिता/पति- श्री पतिराम महतो, जाति- कुर्मी (अ०पि०वर्ग०), ग्राम- बोन्डीह, पो०- उँचीबीता, थाना- टोकलो, जिला- प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक/आवेदिका श्री करमु महतो, पिता/पति- श्री शत्रुघन महतो, जाति- कुर्मी (अ०पि०वर्ग०), ग्राम- दुरियाम, पो०+थाना- टोकलो, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>बिक्रेता एवं क्रेता का थाना- टोकलो, जिला-प० सिंहभूम के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति- कुर्मी (अ०पि०वर्ग०), समुदाय के सदस्य हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात बिक्रेता को चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत रकबा- 3.15.000 ए०, अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप बिक्रेता श्री करमु महतो, पिता/पति- श्री शत्रुघन महतो, जाति- कुर्मी (अ०पि०वर्ग०), ग्राम- दुरियाम, पो०+थाना- टोकलो, को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त भूमि 65,000/- (पैंसठ हजार) रुपये में बेचने की स्वीकृति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।</p> <p>लेखापित <i>Beery</i></p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p> <p style="text-align: right;"><i>Beery</i> 12.2.19 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	